रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 473] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 1986/कार्तिक 28, 1908
No. 473] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 19, 1986/KARTIKA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 845(अ) :—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 1 मई, 1986 की अधिसूचना सं. का. आ. 218(अ) और अधिसूचना सं. का. आ. 219(अ) में अन्तर्विष्ट विषय पर न्याय निर्णयन करने के लिए "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 265(अ) तारीख 16 मई, 1986 द्वारा गठन किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति श्री सी श्रीरामुलू, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और अधिकरण ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिकरण का बना रहना आवश्यक नहीं है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उपर्युक्त अधिकरण राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेगा।

[सं. 1/17034/21/86-आई. एस. (डी.-VII)]

सी. टी. बैंजामिन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 845(E).—Whereas the 'Unlawful Activities (Prevention) Tribunal' consisting of Shri Justice C. Sriramulu, Judge of the Andhra Pradesh High Court, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 265(E) dated the 16th May, 1986 to adjudicate upon the matter contained in the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 218(E) and S.O. 219(E) dated the 1st May, 1986, has completed its work;

And whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the said Tribunal is unnecessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that the aforesaid Tribunal shall cease to exist with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. 1|17034|21|86-IS(D.VII]

C. T. BENJAMIN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986